क्रम-संख्या–32

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 25 फरवरी, 2025

फाल्गुन 6, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग–11

संख्या 141 / एक-11-2025
लखनऊ, 25 फरवरी, 2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–16

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 53 सन् 2005) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण सेवा में भर्ती और इसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैः–

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अधिकारी / कर्मचारी सेवा नियमावली, 2025

भाग–एक

सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली ''उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अधिकारी / कर्मचारी सेवा नियमावली, 2025" कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2–उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण सेवा एक राज्य सरकार की सेवा है जिसमें समूह क, ख एवं ग के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषायें

3–जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो,इस नियमावली में: –

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) से है;

(ख) ''प्राधिकरण'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से है;

(ग) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य समूह क व ख के पदों के लिये राज्यपाल तथा समूह ग के पदों के लिये उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है;

(घ) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;

(ङ) ''आयोग'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से है;

(च) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(छ) ''आपदा प्रबंधन अधिनियम'' का तात्पर्य "आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005'' (अधिनियम संख्या 53 सन् 2005) से है;

(ज) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(झ) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(ञ) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(ट) ''नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों'' का तात्पर्य समय–समय पर यथासंशोधित अधिनियम की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ठ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण सेवा से है;

(ड) ''अधीनस्थ सेवा चयन आयोग'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है;

(ढ) "मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(ण) ''उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम'' का तात्पर्य "उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005'' (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2005) से है;

(त) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग–दो
संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4–(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये;

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट 'क' और 'ख' में दी गई है:

परन्तु यह कि: –

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकती हैं, जिसमें कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों को सृजित कर सकती हैं, जैसा वह उचित समझें।

भाग–तीन

भर्ती

भर्ती का स्रोत

5–सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती इस नियमावली के परिशिष्ट क और परिशिष्ट ख में यथा उल्लिखित सुसंगत आयोग (समूह क और ख के पदों हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और समूह ग के पदों हेतु उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगीः

परन्तु यह कि,–

इस नियमावली के अधीन कोई भर्ती किये जाने के पूर्व, कोई ऐसा व्यक्ति, जो दिनांक 25.01.2022 तक कार्यालय ज्ञाप संख्या– 134/1–11–2015–10 (पी)/2008, दिनांक 23 मई, 2016 के द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार प्रतियोगिता के माध्यम से चयन के आधार पर परिशिष्ट क और परिशिष्ट ख में उल्लिखित किसी पद पर नियुक्त किया गया था और ऐसे प्रारम्भ होने के दिनांक को उस पद पर निरन्तर कार्यरत हो, को उक्त पद पर आमेलन के लिये शासन द्वारा गठित समिति द्वारा विचार किया जायेगा और यदि उसे उपयुक्त पाया जाता है तो उसे उक्त पद पर आमेलित कर लिया जायेगा।

आरक्षण

6–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण समय–समय पर यथासंशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश, लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1993) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) और अन्य अधिनियमों, नियमावलियों तथा भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार होगा।

भाग–चार

अर्हतायें

राष्ट्रीयता

7–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थीः–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण– पत्र जारी किया गया होः

परन्तु यह और कि. श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेः

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपयुक्त श्रेणी ''ग'' का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी:– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, को किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि, उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

अनिवार्य शैक्षिक अर्हता और अनुभव

8–सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के लिए अर्हताएं परिशिष्ट 'ग' में यथा उल्लिखित हैं।

अधिमानी अर्हता

9– अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसनेः–

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो,

या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

10–सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की जिसमें रिक्तियां सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित की जायं, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की होः

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

11–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत् व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थित

12–सेवा में नियुक्ति के लिये ऐसा कोई व्यक्ति पात्र नहीं होगा;

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह का करार किया हो, जिसका जीवनसाथी जीवित हो; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के साथ जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का करार किया होः

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता

13–किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–दो भाग–तीन के अध्याय तीन में अन्तर्विष्टि (फण्डामेण्टल रूल–10) के अधीन बनाए गये नियमों के अनुसार चिकित्सीय स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।

भाग–पाँच

भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

14–नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ–साथ नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या को भी अवधारित करेगा। सुसंगत आयोगों के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना उन्हें दी जायेगी।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15–(क) परिशिष्ट क में उल्लिखित समूह क और ख के पदों पर सीधी भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा की जायेगी, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत् होगीः–

(1) चयन के विचारार्थ आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी किये गये विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) आयोग नियम–8 में निर्दिष्ट परिशिष्ट (ग) के अनुसार सम्बन्धित पद के लिए विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत (ऐसी स्थिति में जब अनिवार्य शैक्षिक अहर्ता में एक उपाधि न होकर एक से अधिक उपाधियां/डिप्लोमा हों, तो दोनों के प्रतिशत के योग का औसत मेरिट हेतु विचारणीय होगा) और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के योग के आधार पर उनकी प्रवीणता के क्रम में चयन सूची तैयार करेगा। साक्षात्कार के अंक लोक सेवा आयोग के नियम/नीति के अनुसार अवधारित/देय होंगे। ऐसी सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी बराबर बराबर अंक प्राप्त करते हैं, तो उन्हें परिशिष्ट ग के अनुसार अधिमान दिया जायेगा। उपरोक्त के उपरान्त भी यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान स्तर पर हों तो अभ्यर्थियों के नामों को आयोग अपनी सामान्य नीति के अनुसार व्यवस्थित कर सकेगा। नियमावली में सम्मिलित लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र के अधीन पदों पर सीधी भर्ती के सन्दर्भ में यदि नियमावली का कोई उपबंध मौन हों तो तत्संबंध में लोक सेवा आयोग द्वारा विनिश्चय लेने के पश्चात कार्यवाही की जायेगी। आयोग रिक्तियों के सापेक्ष अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करेगा और उसे अपनी संस्तुति सहित नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

(ख) परिशिष्ट ख में यथा उल्लिखित समूह ग के पदों पर सीधी भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की जायेगी, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत् होगीः–

सीधी भर्ती, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के लिये सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015 के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

भाग–छः

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

16–(1) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों के नामों को उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे, नियम–15 के अधीन तैयार की गयी सूची में आयें हों, नियुक्तियाँ करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उसी ज्येष्ठता के क्रम में किया जायेगा जैसा चयन में अवधारित हो।

परिवीक्षा

17–(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जिसके लिए अवधि बढ़ायी जाएः

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

18–किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अंत में उसकी नियुक्ति में समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायी कर दिया जायेगा, यदि;

(क) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया जाय;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय; और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किए जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता

19—सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय—समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग—सात

वेतन आदि

वेतनमान

20—(1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा कि सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट क व ख में दिया गया है।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

21—(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, को समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहाँ विहित हो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु यह कि यदि सन्तोषजनक सेवा प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) व्यक्ति, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, का परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा:

परन्तु यह कि यदि सन्तोषजनक सेवा प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, का परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग—आठ

अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

22—सेवा के किसी पद पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्ही सिफारिशों पर, चाहें लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपने अभ्यर्थन के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

23—ऐसे मामलों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों से आच्छादित न हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सामान्यतया सरकारी सेवकों पर लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

24—जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि, सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

25—इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में समय—समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबंध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

पी0 गुरु प्रसाद,

प्रमुख सचिव।

परिशिष्ट क

{नियम 4(2) और 20(2) और नियम 5 देखें}

क्रमांक	पद का नाम	पदों की संख्या	भर्ती का स्रोत	वेतनमान
1	प्रोजेक्ट डायरेक्टर फ्लड मैनेजमेन्ट (सेक्शनल हेड)	1	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती	वेतन मैट्रिक्स लेवल–12 (रू0 78,800–2,09,200)
2	प्रोजेक्ट डायरेक्टर सीस्मिक एण्ड अदर हजार्ड (सेक्शनल हेड)	1	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती	वेतन मैट्रिक्स लेवल–12 (रू0 78,800–2,09,200)
3	प्रोजेक्ट डायरेक्टर ट्रामा एण्ड मास कैजुएल्टी (सेक्शनल हेड)	1	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती	वेतन मैट्रिक्स लेवल–12 (रू0 78,800–2,09,200)
4	प्रोजेक्ट डायरेक्टर इमरजेन्सी आपरेशन (सेक्शनल हेड)	1	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती	वेतन मैट्रिक्स लेवल–12 (रू0 78,800–2,09,200)
5	प्रोजेक्ट एक्सपर्ट (फ्लड कन्ट्रोल)	1	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती	वेतन मैट्रिक्स लेवल–09 (रू0 53,100–1,67,800)
6	प्रोजेक्ट एक्सपर्ट (फ्लड वार्निंग एण्ड इन्फार्मेशन सिस्टम)	1	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती	वेतन मैट्रिक्स लेवल–09 (रू0 53,100–1,67,800)
7	प्रोजेक्ट एक्सपर्ट (एग्रीकल्चर)	1	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती	वेतन मैट्रिक्स लेवल–09 (रू0 53,100–1,67,800)
8	प्रोजेक्ट एक्सपर्ट (सीस्मोलाजी)	1	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती	वेतन मैट्रिक्स लेवल–09 (रू0 53,100–1,67,800)
9	प्रोजेक्ट एक्सपर्ट (सिविल स्ट्रक्चर)	1	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती	वेतन मैट्रिक्स लेवल–09 (रू0 53,100–1,67,800)
10	प्रोजेक्ट एसोसियेट (इंसीडेन्ट कमाण्ड एण्ड इमरजेंसी मैनेजमेन्ट)	1	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती	वेतन मैट्रिक्स लेवल–09 (रू0 53,100–1,67,800)
11	प्रोजेक्ट कोआर्डीनेटर (ट्रेनिंग)	1	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती	वेतन मैट्रिक्स लेवल–09 (रू0 53,100–1,67,800)

परिशिष्ट ख

{नियम 4(2) और 20(2) और नियम 5 देखें}

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	भर्ती का स्रोत	वेतनमान
1	सहायक लेखाकार	1	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती	वेतन मैट्रिक्स लेवल–05 (रू0 29,200–92,300)
2	कनिष्ठ सहायक	1	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती	वेतन मैट्रिक्स लेवल–03 (रू0 21,700–69,100)

परिशिष्ट ग
(नियम 8 देखें)

क्रमांक	पद का नाम	शैक्षिक अर्हता और अनुभव
1	प्रोजेक्ट डायरेक्टर फ्लड मैनेजमेन्ट (सेक्शनल हेड)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यांत्रिकी या सिविल में बी0ई0 या बी0टेक की उपाधि तथा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव। इस अनुभव में केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी परियोजना/कार्यक्रम में बाढ़ प्रबंधन कार्य का अनुभव धारित करने वाले अभ्यर्थी को अवधि के आधार पर प्रथम वरीयता दी जायेगी और गैर सरकारी संस्था से बाढ़ प्रबन्धन के कार्य का अनुभव धारित करने वाले अभ्यर्थी को द्वितीय वरीयता दी जायेगी।
2	प्रोजेक्ट डायरेक्टर सीस्मिक एण्ड अदर हजार्ड (सेक्शनल हेड)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अर्थक्वैक साइंस या स्ट्रक्चरल इंजिनियरिंग या सिविल में बी0ई0 या बी0टेक की उपाधि तथा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव। इस अनुभव में केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी परियोजना/कार्यक्रम में भूकंप प्रबन्धन के कार्य का अनुभव धारित करने वाले अभ्यर्थी को अवधि के आधार पर प्रथम वरीयता दी जायेगी और गैर सरकारी संस्था से भूकम्प प्रबन्धन के कार्य का अनुभव धारित करने वाले अभ्यर्थी को द्वितीय वरीयता दी जायेगी।
3	प्रोजेक्ट डायरेक्टर ट्रामा एण्ड मास कैजुएल्टी (सेक्शनल हेड)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एम0बी0बी0एस0 की उपाधि तथा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव। इस अनुभव में केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी परियोजना/कार्यक्रम में स्वास्थ्य प्रबंधन या ट्रामा एण्ड मास कैजुएल्टी के कार्य का अनुभव धारित करने वाले अभ्यर्थी को अवधि के आधार पर प्रथम वरीयता दी जायेगी और गैर सरकारी संस्था से स्वास्थ्य प्रबंधन या ट्रामा एण्ड मास कैजुएल्टी के कार्य का अनुभव धारित करने वाले अभ्यर्थी को द्वितीय वरीयता दी जायेगी।
4	प्रोजेक्ट डायरेक्टर इमरजेन्सी आपरेशन (सेक्शनल हेड)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ आपदा प्रबन्धन में परास्नातक डिप्लोमा अथवा उपाधि तथा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव। इस अनुभव में केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी परियोजना/कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन व इमरजेन्सी आपरेशन के कार्य का अनुभव धारित करने वाले अभ्यर्थी को अवधि के आधार पर प्रथम वरीयता दी जायेगी और गैर सरकारी संस्था से आपदा प्रबंधन व इमरजेन्सी आपरेशन के कार्य का अनुभव धारित करने वाले अभ्यर्थी को द्वितीय वरीयता दी जायेगी।
5	प्रोजेक्ट एक्सपर्ट (फ्लड कन्ट्रोल)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यांत्रिकी या सिविल में बी0ई0 या बी0टेक की उपाधि तथा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में 05 वर्ष का अनुभव। इस अनुभव में केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी परियोजना/कार्यक्रम में बाढ़ प्रबंधन के कार्य का अनुभव धारित करने वाले अभ्यर्थी को अवधि के आधार पर प्रथम वरीयता दी जायेगी और गैर सरकारी संस्था से बाढ़ प्रबंधन के कार्य का अनुभव धारित करने वाले अभ्यर्थी को द्वितीय वरीयता दी जायेगी।
6	प्रोजेक्ट एक्सपर्ट (फ्लड वार्निंग एण्ड इन्फार्मेशन सिस्टम)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यांत्रिकी या सिविल में बी0ई0 या बी0टेक की उपाधि तथा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में 05 वर्ष का अनुभव। इस अनुभव में केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी परियोजना/कार्यक्रम में बाढ़ प्रबंधन व फ्लड वार्निंग एण्ड इन्फार्मेशन के कार्यों का अनुभव धारित करने वाले अभ्यर्थी को अवधि के आधार पर प्रथम वरीयता दी जायेगी और गैर सरकारी संस्था से बाढ़ प्रबंधन व फ्लड वार्निंग एण्ड इन्फार्मेशन के कार्यों का अनुभव धारित करने वाले अभ्यर्थी को द्वितीय वरीयता दी जायेगी।

क्रमांक	पद का नाम	शैक्षिक अर्हता और अनुभव
7	प्रोजेक्ट एक्सपर्ट (एग्रीकल्चर)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक की उपाधि तथा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में 05 वर्ष का अनुभव। इस अनुभव में केंद्र या राज्य सरकार की किसी परियोजना/कार्यक्रम में सूखा प्रबंधन या अन्य आपदाओं के परिप्रेक्ष्य में कृषि प्रबंधन का अनुभव धारित करने वाले अभ्यर्थियों को अवधि के आधार पर प्रथम वरीयता दी जायेगी और किसी गैर–सरकारी संगठन से सूखा प्रबंधन या अन्य आपदाओं के परिप्रेक्ष्य में कृषि प्रबंधन का अनुभव धारित करने वाले अभ्यर्थियों को द्वितीय वरीयता दी जाएगी।
8	प्रोजेक्ट एक्सपर्ट (सीस्मोलाजी)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अर्थक्वैक साइंस या जियोलोजी या स्ट्रक्चरल इंजिनियरिंग या सिविल में बी0ई0 या बी0टेक की उपाधि तथा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में 05 वर्ष का अनुभव। इस अनुभव में केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी परियोजना/कार्यक्रम में भूकंप प्रबन्धन के कार्य का अनुभव धारित करने वाले अभ्यर्थी को अवधि के आधार पर प्रथम वरीयता दी जायेगी और गैर सरकारी संस्था से भूकम्प प्रबन्धन के कार्य का अनुभव धारित करने वाले अभ्यर्थी को द्वितीय वरीयता दी जायेगी।
9	प्रोजेक्ट एक्सपर्ट (सिविल स्ट्रक्चर)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्ट्रक्चरल इंजिनियरिंग या सिविल में बी0ई0 या बी0टेक की उपाधि तथा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में 05 वर्ष का अनुभव। इस अनुभव में केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी परियोजना/कार्यक्रम में भूकम्परोधी भवन निर्माण तकनीक या भूकंप शमन व प्रबंधन के कार्य का अनुभव धारित करने वाले अभ्यर्थी को अवधि के आधार पर प्रथम वरीयता दी जायेगी और गैर सरकारी संस्थान से भूकम्परोधी भवन निर्माण तकनीक या भूकंप शमन व प्रबंधन के कार्य का अनुभव धारित करने वाले अभ्यर्थी को द्वितीय वरीयता दी जायेगी।
10	प्रोजेक्ट एसोसियेट (इंसीडेन्ट कमाण्ड एण्ड इमरजेंसी मैनेजमेन्ट)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ आपदा प्रबन्धन में उपाधि अथवा डिप्लोमा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में 05 वर्ष का अनुभव। इस अनुभव में केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी परियोजना/कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन व इमरजेन्सी आपरेशन के कार्य का अनुभव धारित करने वाले अभ्यर्थी को अवधि के आधार पर प्रथम वरीयता दी जायेगी और गैर सरकारी संस्था से आपदा प्रबंधन व इमरजेन्सी आपरेशन के कार्य का अनुभव धारित करने वाले अभ्यर्थी को द्वितीय वरीयता दी जायेगी।
11	प्रोजेक्ट कोआर्डीनेटर (ट्रेंनिंग)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ आपदा प्रबन्धन में उपाधि अथवा डिप्लोमा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में 05 वर्ष का अनुभव। इस अनुभव में केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी परियोजना/कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण के कार्य का अनुभव धारित करने वाले अभ्यर्थी को अवधि के आधार पर प्रथम वरीयता दी जायेगी और गैर सरकारी संस्था से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण के कार्य का अनुभव धारित करने वाले अभ्यर्थी को द्वितीय वरीयता दी जायेगी।
12	सहायक लेखाकार	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातक उपाधि और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर प्रचालन में ''ओ'' लेवल डिप्लोमा तथा लेखा के क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव।
13	कनिष्ठ सहायक	इण्टरमीडिएट या राज्य सरकार द्वारा विहित समकक्ष अर्हता तथा हिन्दी व अंग्रेजी टाइपिंग में क्रमशः 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति तथा डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर प्रचालन में सी0सी0सी0 प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा उसके समकक्ष प्रदान किया गया कोई प्रमाण पत्र।

क्रम-संख्या	पद का विवरण	कार्य एवं दायित्व
1	प्रोजेक्ट डायरेक्टर फ्लड	(एक) राज्य डीएम (बाढ़) योजना तैयार करना।
		(दो) राज्य सरकार के विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन (बाढ़) योजनाओं की समीक्षा करें;
		(तीन) राज्य सरकार के विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में बाढ़ की रोकथाम और बाढ़ शमन के उपायों को एकीकृत करने और उसके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बाढ़ प्रबंधन के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांतों का विकास;
		(चार) राज्य डीएम (बाढ़) योजना के कार्यान्वयन का समन्वय करना;
		(पांच) बाढ़ शमन, बाढ़ की तैयारी और बाढ़ प्रबंधन के लिए धन के उपबंध की सलाह देना;
		(छह) राज्य सरकार के विभागों द्वारा बाढ़ शमन, बाढ़ की तैयारी के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा करना और आवश्यक मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना;
		(सात) बाढ़ आपदाओं के प्रति राज्य के विभिन्न हिस्सों की संवेदनशीलता की जांच करना और बाढ़ की रोकथाम या शमन के लिए किए जाने वाले उपायों को निर्दिष्ट करना;
		(आठ) जिला प्राधिकारियों और स्थानीय प्राधिकारियों को उनके बाढ़ प्रबंधन संबंधी कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना या सलाह देना;
		(नौ) बाढ़ प्रबंधन के लिए राज्य स्तरीय प्रतिक्रिया योजनाएँ और मार्गदर्शक सिद्धांत विकसित करना;
		(दस) राज्य और जिला सरकार के विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन (बाढ़) योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना;
		(ग्यारह) सरकारी या गैर–सरकारी सभी स्तर पर तैयारियों का मूल्यांकन करें, किसी भी खतरनाक बाढ़ की स्थिति का जवाब देने के लिए स्तर और जहां आवश्यक हो, ऐसी तैयारी बढ़ाने के लिए निदेश दें;
		(बारह) राज्य सरकार के विभागों, जिला प्राधिकरणों, वैधानिक निकायों और बाढ़ प्रबंधन में लगे अन्य सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों के क्रियाकलापों को सलाह, सहायता और समन्वय करना;
		(तेरह) जिला अधिकारियों और स्थानीय अधिकारियों को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना या सलाह देना और बाढ़ प्रबंधन के संबंध में उनके कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए समन्वय करना;
		(चौदह) अनुसंधान, अध्ययन, दस्तावेजीकरण, आईईसी विकास;
		(पन्द्रह) बाढ़ प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित राष्ट्रीय और अन्य संबंधित अधिकारियों को जानकारी प्रदान करना;
		(सोलह) राज्य स्तरीय प्रतिक्रिया योजनाएं बनाना, समीक्षा करना और अद्यतन करना;मार्गदर्शक सिद्धांत और यह सुनिश्चित करना कि जिला स्तरीय बाढ़ योजनाएँ तैयार, समीक्षा और अद्यतन की गई हैं;
		(सत्रह) ऐसे अन्य कार्य करना जो राज्य प्राधिकरण द्वारा उसे सौंपे जाएं या जो वह आवश्यक समझे।

2	प्रोजेक्ट डायरेक्टर सिस्मिक एण्ड अदर हजार्ड	(एक) राज्य डीएम (भूकंप सुरक्षा) योजना तैयार करना;
		(दो) राज्य सरकार के विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन (भूकंप सुरक्षा) योजनाओं की समीक्षा करें;
		(तीन) राज्य सरकार के विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में भूकंप शमन के एकीकरण के प्रयोजनों के लिए भूकंप प्रबंधन के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांतों का विकास और उसके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना;
		(चार) राज्य डीएम (भूकंप सुरक्षा) योजना के कार्यान्वयन का समन्वय करना;
		(पांच) भूकंप जोखिम शमन, भूकंप की तैयारी और राहत के लिए धन के उपबंध की सलाह देना;
		(छह) राज्य सरकार के विभागों द्वारा भूकंप शमन, भूकंप सुरक्षा तैयारियों के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा करना और आवश्यक मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना;
		(सात) भूकंप आपदाओं के प्रति राज्य के विभिन्न हिस्सों की संवेदनशीलता की जांच करना और भूकंप से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए किए जाने वाले उपायों को विनिर्दिष्ट करना;
		(आठ) जिला प्राधिकारियों और स्थानीय प्राधिकारियों को उनके भूकंप सुरक्षा संबंधी कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना या सलाह देना;
		(नौ) भूकंप आपदा के लिए राज्य स्तरीय प्रतिक्रिया योजनाएं और मार्गदर्शक सिद्धांत विकसित करना;
		(दस) राज्य सरकार के विभागों और जिला प्राधिकरणों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन (भूकंप सुरक्षा) योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना;
		(ग्यारह) भूकंप की स्थिति पर प्रतिक्रिया देने के लिए सभी सरकारी या गैर–सरकारी स्तरों पर तैयारियों का मूल्यांकन करें जहां आवश्यक हो, ऐसी तैयारी बढ़ाने के लिए निदेश दें;
		(बारह) भूकंप सुरक्षा और प्रबंधन में लगे राज्य सरकार के विभागों, जिला प्राधिकरणों, सांविधिक निकायों और अन्य सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों यानी सिविल/आर्किटेक्ट एसोसिएशन, बिल्डर एसोसिएशन आदि के क्रियाकलापों को सलाह, सहायता और समन्वय करना;
		(तेरह) अनुसंधान, अध्ययन, दस्तावेजीकरण, आईईसी विकास;
		(चौदह) भूकंप सुरक्षा के संबंध में अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए जिला अधिकारियों और स्थानीय अधिकारियों को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना या सलाह देना;
		(पन्द्रह) भूकंप सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित राष्ट्रीय और अन्य संबंधित अधिकारियों को जानकारी प्रदान करना;
		(सोलह) राज्य स्तरीय प्रतिक्रिया योजनाएं बनाना, समीक्षा करना और अद्यतन करना, मार्गदर्शक सिद्धांत और यह सुनिश्चित करना कि जिला स्तरीय भूकंप सुरक्षा योजनाएं तैयार, समीक्षा और अद्यतन की गई हैं;
		(सत्रह) ऐसे अन्य कार्य करना जो राज्य प्राधिकरण द्वारा उसे सौंपे जाएं या जो वह आवश्यक समझे।

3	प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ट्रामा एण्ड मास कैजुएल्टी	(एक) राज्य डीएम (आघात और जन हताहत और महामारी प्रबंधन) योजना तैयार करना;
		(दो) राज्य सरकार के विभागों द्वारा तैयार की गई डीएम (आघात और जन हताहत और महामारी प्रबंधन) योजनाओं की समीक्षा करें;
		(तीन) अस्पताल सुरक्षा योजनाओं की तैयारी के संबंध में अस्पतालों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों का विकास;
		(चार) राज्य आपदा प्रबंधन (आघात और जन हताहत और महामारी प्रबंधन) योजना के कार्यान्वयन का समन्वय करना;
		(पांच) आघात और सामूहिक दुर्घटना, महामारी प्रबंधन और स्वास्थ्य सुरक्षा तैयारी उपायों के लिए धन के उपबंध की सिफारिश करना;
		(छह) सुरक्षित अस्पतालों के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा करना;
		(सात) अस्पतालों की तैयारियों की जांच करें;
		(आठ) आघात एवं सामूहिक दुर्घटना और महामारी प्रबंधन के संबंध में आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना;
		(नौ) राज्य स्तरीय आघात और सामूहिक दुर्घटना और महामारी प्रबंधन प्रतिक्रिया योजनाएँ विकसित करना;
		(दस) अनुसंधान, अध्ययन, दस्तावेजीकरण, आईईसी विकास;
		(ग्यारह) स्वास्थ्य सुरक्षा और आघात एवं जन हताहत तैयारियों और महामारी प्रबंधन को बढ़ाने के लिए सभी सरकारी या गैर–सरकारी स्तरों पर तैयारियों का मूल्यांकन करना;
		(बारह) ट्रॉमा और मास हताहत प्रबंधन और महामारी प्रबंधन में लगे राज्य सरकार के विभागों, जिला प्राधिकरणों, वैधानिक निकायों और अन्य सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों यानी आघात और जनहताहत और महामारी प्रबन्धंन में लगे आईएमए, नर्सिंग होम एसोसिएशन, प्राइवेट ब्लड बैंक आदि के क्रियाकलापों को सलाह, सहायता और समन्वय करना;
		(तेरह) स्वास्थ्य और आघात एवं सामूहिक दुर्घटना और महामारी प्रबंधन से संबंधित राष्ट्रीय और अन्य संबंधित अधिकारियों को जानकारी प्रदान करना;
		(चौदह) ऐसे अन्य कार्य करना जो राज्य प्राधिकरण द्वारा उसे सौंपे जाएं या जैसा वह आवश्यक समझे।
4	प्रोजेक्ट डायरेक्टर इमरजेंसी आपरेशन	(एक) आपातकालीन प्रबंधन और संचालन योजना सहित राज्य आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी के लिए समन्वय;
		(दो) आपात स्थिति का समन्वय और प्रबंधन, आपातकालीन संचालन केंद्र, संकट प्रबंधन;
		(तीन) राज्य आपदा प्रबंधन /संकट प्रबंधन योजना की तैयारी और कार्यान्वयन;
		(चार) प्रारंभिक चेतावनी प्राप्त करने के लिए सीडब्ल्यूसी, सिंचाई नियंत्रण कक्ष, आईएमडी, रिमोट सेंसिंग सेंटर और अन्य राज्य या राष्ट्रीय स्तर के नियंत्रण कक्षों के साथ संपर्क;
		(पांच) राज्य सरकार के विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन और प्रतिक्रिया योजनाओं की समीक्षा करना;
		(छह) आपदा शमन और आपातकालीन प्रतिक्रिया के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार के विभागों द्वारा पालन किए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित करना;
		(सात) अन्य सभी आपातकालीन संचालन केंद्रों यानी संबंधित विभाग के

		ईओसी, राष्ट्रीय, जिला ईओसी और अन्य नियंत्रण कक्षों के साथ समन्वय। आपातकालीन रिपोर्ट तैयार करना;
		(आठ) आपातकालीन परिचालनों की तैयारी के लिए विभागीय योजनाओं और नीतियों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के एकीकरण और मुख्यधारा में समन्वय, समीक्षा और निगरानी करना;
		(नौ) आपदा और आपातकालीन प्रबंधन से संबंधित राष्ट्रीय और अन्य संबंधित अधिकारियों को जानकारी प्रदान करना;
		(दस) आपातकालीन प्रबंधन, शमन और तैयारी उपायों के लिए धन के उपबंधों की सिफारिश करना ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में आपातकालीन संचालन ठीक से किया जा सके;
		(ग्यारह) राज्य की कमजोरियों की जांच करें ताकि आपातकालीन प्रबंधन किया जा सके;
		(बारह) सभी सरकारी या गैर–सरकारी पदाधिकारियों की तैयारियों का मूल्यांकन करना और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी के उपाय करना;
		(तेरह) किसी भी खतरनाक आपदा की स्थिति या आपदा की स्थिति में प्रतिक्रिया का समन्वय करना;
		(चौदह) आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रबंधन के लिए समस्त हितधारकों का क्षमता निर्माण। प्रशिक्षण प्रबंधन. आपातकालीन प्रबंधन के लिए सामान्य शिक्षा, जागरूकता और सामुदायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। समस्त परियोजना एवं कार्यक्रम प्रबंधन;
		(पन्द्रह) राज्य सरकार के विभागों, जिला प्राधिकरणों, सांविधिक निकायों और आपदा प्रबंधन और आपातकालीन संचालन में लगे अन्य सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों के क्रियाकलापों को सलाह, समीक्षा, सहायता और समन्वय करना;
		(सोलह) अनुसंधान, अध्ययन, दस्तावेजीकरण, आईईसी विकास;
		(सत्रह) सुनिश्चित करें कि संचार प्रणालियाँ क्रियाशील हैं और आपदा प्रबंधन अभ्यास समय–समय पर किए जाते हैं;
		(अठारह) बचाव, निकासी या जीवन या संपत्ति को बचाने के लिए तत्काल राहत प्रदान करने के लिए समन्वय और निर्देश देना, जैसा कि उसकी राय में आवश्यक हो;
		(उन्नीस) सुनिश्चित करें कि सरकारी और गैर–सरकारी संगठन अपनी आपातकालीन और राहत क्रियाकलापों को न्यायसंगत और गैर–भेदभावपूर्ण तरीके से चलाएँ;
		(बीस) केंद्र या राज्य सरकार, एसडीआरएफ, एसडीएमएफ या किसी अन्य फंड द्वारा वित्त पोषित विभाग की या उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सभी प्रकार की आपदा न्यूनीकरण परियोजना/कार्य, क्षमता निर्माण परियोजना, ईओसी, जागरूकता और प्रशिक्षण आदि से संबंधित सभी प्रकार की परियोजना तैयार कराना व क्रियान्वयन कराना, समीक्षा और कार्यान्वयन के प्रभारी;
		(इक्कीस) किसी भी खतरनाक आपदा स्थिति या आपदा से निपटने के लिए सार्वजनिक प्रसार के लिए संबंधित अधिकारियों को जानकारी प्रसारित करना;
		(बाइस) ऐसे अन्य कार्य करना जो राज्य प्राधिकरण द्वारा उसे सौंपे जाएं या जैसा वह आवश्यक समझे।

5	प्रोजेक्ट एक्सपर्ट फ्लड कंट्रोल	(एक) राज्य डीएम (बाढ़) योजना की तैयारी;
		(दो) प्रारंभिक चेतावनी प्राप्त करने के लिए सीडब्ल्यूसी, सिंचाई नियंत्रण कक्ष, आईएमडी, रिमोट सेंसिंग सेंटर और अन्य राज्य या राष्ट्रीय स्तर के नियंत्रण कक्षों के साथ संपर्क;
		(तीन) बाढ़ की पूर्व चेतावनी का प्रसार;
		(चार) राज्य सरकार के विभागों द्वारा तैयार की गई डीएम (बाढ़) योजनाओं की समीक्षा करें;
		(पांच) राज्य सरकार के विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में बाढ़ की रोकथाम और बाढ़ शमन के उपायों को एकीकृत करने और उसके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बाढ़ प्रबंधन के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांतों का विकास;
		(छह) राज्य सरकार के विभागों द्वारा बाढ़ शमन, बाढ़ की तैयारी के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा करना और आवश्यक मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना;
		(सात) बाढ़ प्रबंधन के लिए राज्य स्तरीय प्रतिक्रिया योजनाएँ और मार्गदर्शक सिद्धांत विकसित करना;
		(आठ) राज्य सरकार और जिला प्राधिकारियों के विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन (बाढ़) योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना;
		(नौ) किसी भी खतरनाक बाढ़ की स्थिति का जवाब देने के लिए सभी सरकारी या गैर–सरकारी स्तरों पर तैयारियों का मूल्यांकन करना और जहां आवश्यक हो, ऐसी तैयारियों को बढ़ाने के लिए निर्देश देना;
		(दस) अनुसंधान, अध्ययन, दस्तावेजीकरण, आईईसी विकास;
		(ग्यारह) ऐसे अन्य कार्य करना जो परियोजना निदेशक बाढ़ द्वारा उसे सौंपे जाएं;
6	प्रोजेक्ट एक्सपर्ट फ्लड वार्निंग एण्ड इनफारमेशन सिस्टम	(एक) राज्य डीएम (बाढ़) योजना के कार्यान्वयन का समन्वय करना;
		(दो) बाढ़ शमन और बाढ़ तैयारी उपायों के लिए धन के उपबंध की सिफारिश करना;
		(तीन) बाढ़ आपदाओं के प्रति राज्य के विभिन्न हिस्सों की संवेदनशीलता की जांच करना और बाढ़ की रोकथाम या शमन के लिए किए जाने वाले उपायों को विनिर्दिष्ट करना;
		(चार) जिला प्राधिकारियों और स्थानीय प्राधिकारियों को उनके बाढ़ प्रबंधन संबंधी कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना या सलाह देना;
		(पाँच) बाढ़ प्रबंधन में लगे राज्य सरकार के विभागों, जिला प्राधिकरणों, सांविधिक निकायों और अन्य सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों की गतिविधियों को सलाह, सहायता और समन्वय करना;
		(छह) बाढ़ प्रबंधन के संबंध में अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए जिला अधिकारियों और स्थानीय अधिकारियों को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना या सलाह देना;
		(सात) बाढ़ प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित राष्ट्रीय और अन्य संबंधित अधिकारियों को जानकारी प्रदान करना;

		(आठ) राज्य स्तरीय प्रतिक्रिया योजनाएं और मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित, समीक्षा और अद्यतन करना और यह सुनिश्चित करना कि जिला स्तरीय बाढ़ योजनाएं तैयार, समीक्षा और अद्यतन की गई हैं;
		(नौ) अनुसंधान, अध्ययन, दस्तावेजीकरण, आईईसी विकास;
		(दस) ऐसे अन्य कार्य करना जो परियोजना निदेशक बाढ़ द्वारा उसे सौंपे जाएं;
7	प्रोजेक्ट एक्सपर्ट एग्रीकल्चर	(एक) कृषि लचीलेपन के दृष्टिकोण से राज्य सरकार के विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं की समीक्षा करें;
		(दो) राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं में सूखे/बाढ़/शीतलहर/ओलावृष्टि/अन्य आपदाओं से कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के उपायों के एकीकरण के उद्देश्य से फसल प्रबंधन के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांतों का विकास और परियोजनाएं और उनके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना;
		(तीन) आपदाओं से फसलों/कृषि को हुए नुकसान के आकलन में सहायता और समन्वय करना;
		(चार) राज्य सरकार के विभागों द्वारा सूखा शमन, सूखा तैयारी के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा करना और आवश्यक मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना;
		(पॉच) राज्य के विभिन्न हिस्सों की सूखा आपदाओं की संवेदनशीलता की जांच करना और सूखा शमन के लिए किए जाने वाले उपायों को निर्दिष्ट करना;
		(छह) जिला प्राधिकारियों और स्थानीय प्राधिकारियों को उनके क्षति मूल्यांकन, सूखा शमन और कृषि हानि शमन संबंधी कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना या सलाह देना;
		(सात) राज्य सरकार के विभागों और जिला प्राधिकरणों द्वारा कृषि की दृष्टि से तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करना;
		(आठ) कृषि हानि शमन के संबंध में अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए जिला अधिकारियों और स्थानीय अधिकारियों को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना या सलाह देना;
		(नौ) कृषि हानि से संबंधित, संबंधित अधिकारियों को जानकारी प्रदान करना;
		(दस) राज्य स्तरीय प्रतिक्रिया योजनाएं और मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करना, समीक्षा करना और अद्यतन करना और यह सुनिश्चित करना कि जिला स्तरीय सूखा शमन और प्रबंधन योजनाएं तैयार, समीक्षा और अद्यतन की गई हैं;
		(ग्यारह) अनुसंधान, अध्ययन, दस्तावेजीकरण, आईईसी विकास;
		(बारह) ऐसे अन्य कार्य करना जो परियोजना निदेशक सूखा द्वारा उसे सौंपे जाएं।
8	प्रोजेक्ट एक्सपर्ट सिस्मोलाजी	(एक) राज्य आपदा प्रबंधन (भूकंप सुरक्षा) योजना तैयार करना;
		(दो) राज्य सरकार के विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में भूकंप शमन के एकीकरण के प्रयोजनों के लिए भूकंप प्रबंधन के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांतों का विकास और उसके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना;
		(तीन) राज्य सरकार के विभागों द्वारा भूकंप शमन, भूकंप सुरक्षा तैयारियों के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा करें और ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करें जो आवश्यक हों;

		(चार) भूकंप आपदा के लिए राज्य स्तरीय प्रतिक्रिया योजनाएँ और मार्गदर्शक सिद्धांत विकसित करना;
		(पाँच) भूकंप की स्थिति से निपटने के लिए सभी सरकारी या गैर–सरकारी स्तरों पर तैयारियों का मूल्यांकन करना, जहां आवश्यक हो, ऐसी तैयारी बढ़ाने के लिए निदेश दें;
		(छह) राज्य सरकार के विभागों, जिला प्राधिकरणों, सांविधिक निकायों और भूकंप सुरक्षा और प्रबंधन में लगे अन्य सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों के क्रियाकलापों को सलाह, सहायता और समन्वय करना;
		(सात) भूकंप से संबंधित, संबंधित अधिकारियों को जानकारी प्रदान करना;
		(आठ) अनुसंधान, अध्ययन, दस्तावेजीकरण, आईईसी विकास;
		(नौ) ऐसे अन्य कार्य करना जो परियोजना निदेशक सिस्मिक एण्ड अदर हजार्ड द्वारा उसे सौंपे जाएं।
9	प्रोजेक्ट एक्सपर्ट सिविल स्ट्रक्चर	(एक) राज्य सरकार के विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन (भूकंप सुरक्षा) योजनाओं की समीक्षा करें;
		(दो) राज्य आपदा प्रबंधन (भूकंप सुरक्षा) योजना के कार्यान्वयन का समन्वय करना;
		(तीन) भूकंप आपदाओं के प्रति राज्य के विभिन्न हिस्सों की संवेदनशीलता की जांच करना और भूकंप से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए किए जाने वाले उपायों को विनिर्दिष्ट करना;
		(चार) जिला प्राधिकारियों और स्थानीय प्राधिकारियों को उनके भूकंप सुरक्षा संबंधी कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना या सलाह देना;
		(पाँच) राज्य सरकार और जिला प्राधिकरणों के विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन (भूकंप सुरक्षा) योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना;
		(छह) राज्य स्तरीय प्रतिक्रिया योजनाएँ तैयार करना, समीक्षा करना और अद्यतन करना; और
		मार्गदर्शक सिद्धांत एवं यह सुनिश्चित करना कि जिला स्तरीय भूकंप सुरक्षा योजनाएं तैयार, समीक्षा और अद्यतन की गई हैं;
		(सात) अनुसंधान, अध्ययन, दस्तावेजीकरण, आईईसी विकास;
		(आठ) ऐसे अन्य कार्य करना जो परियोजना निदेशक सिस्मिक एण्ड अदर हजार्ड द्वारा उसे सौंपे जाएं।
10	प्रोजेक्ट एसोसिएट इंसीडेन्ट कमान्ड एण्ड इमरजेंसी मैनेजमेंट	(एक) अन्य सभी आपातकालीन संचालन केंद्रों यानी संबंधित विभाग के ईओसी, राष्ट्रीय, जिला ईओसी और अन्य नियंत्रण कक्षों के साथ समन्वय। आपातकालीन रिपोर्ट तैयार करना;
		(दो) आपातकालीन प्रबंधन और संचालन योजना सहित राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना;
		(तीन) आपात स्थिति का समन्वय और प्रबंधन, आपातकालीन संचालन केंद्र, संकट प्रबंधन;
		(चार) राज्य आपदा प्रबंधन/संकट प्रबंधन योजना की तैयारी और कार्यान्वयन;
		(पाँच) राज्य सरकार के विभागों द्वारा तैयार आपदा प्रबंधन और प्रतिक्रिया योजनाओं की समीक्षा करना;
		(छह) आपदा शमन, प्रतिक्रिया के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार के विभागों द्वारा पालन किए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करें;
		(सात) किसी भी खतरनाक आपदा की स्थिति या आपदा की स्थिति में प्रतिक्रिया का समन्वय करना;

		(आठ) सुनिश्चित करें कि संचार प्रणालियाँ क्रम में हैं और आपदा प्रबंधन अभ्यास समय–समय पर किए जाते हैं;
		(नौ) बचाव, निकासी या जीवन या संपत्ति को बचाने के लिए तत्काल राहत प्रदान करने के लिए समन्वय और निदेश देना, जैसा कि उसकी राय में आवश्यक हो;
		(दस) सुनिश्चित करना कि सरकारी और गैर–सरकारी संगठन अपनी आपातकालीन और राहत क्रियाकलापों को न्यायसंगत और गैर–भेदभावपूर्ण तरीके से चलाएँ;
		(ग्यारह) किसी भी खतरनाक आपदा स्थिति या आपदा से निपटने के लिए सार्वजनिक प्रसार के लिए संबंधित अधिकारियों को जानकारी प्रसारित करना;
		(बारह) अनुसंधान, अध्ययन, दस्तावेजीकरण, आईईसी विकास;
		(तेरह) ऐसे अन्य कार्य करना जो परियोजना निदेशक इमरजेंसी आपरेशन द्वारा उसे सौंपे जाएं।
11	प्रोजेक्ट कोआरडीनेटर ट्रेनिंग	(एक) आपातकालीन परिचालनों के लिए तैयार करने के लिए विभागीय योजनाओं और नीतियों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के एकीकरण और मुख्यधारा में लाने के समन्वय, समीक्षा और निगरानी के लिए हितधारकों की क्षमता का निर्माण;
		(दो) अनुसंधान, अध्ययन, दस्तावेजीकरण, आईईसी विकास;
		(तीन) क्षमता निर्माण से संबंधित, संबंधित प्राधिकारियों के साथ समन्वय करना;
		(चार) आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रबंधन के लिए समस्त हितधारकों का क्षमता निर्माण। प्रशिक्षण प्रबंधन. आपातकालीन प्रबंधन के लिए सामान्य शिक्षा, जागरूकता और सामुदायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। समस्त परियोजना एवं कार्यक्रम प्रबंधन;
		(पॉच) राज्य सरकार के विभागों, जिला प्राधिकरणों, सांविधिक निकायों और आपदा प्रबंधन और आपातकालीन संचालन में लगे अन्य सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों के क्रियाकलापों को सलाह, समीक्षा, सहायता और समन्वय करना;
		(छह) सुनिश्चित करना कि सरकारी और गैर–सरकारी संगठन अपनी आपातकालीन और राहत क्रियाकलापों को न्यायसंगत और गैर–भेदभावपूर्ण तरीके से चलाएँ;
		(सात) ऐसे अन्य कार्य करना जो परियोजना निदेशक इमरजेंसी आपरेशन द्वारा उसे सौंपे जाएं।
12	सहायक लेखाकार	(एक) वित्तीय अभिलेख और पुस्तकें प्रबंधन;
		(दो) वित्तीय मामलों से संबंधित फाइलों का रखरखाव और प्रबंधन;
		(तीन) वित्तीय मामलों से संबंधित पत्रों और पीयूसी (विचाराधीन पत्रों) पर कार्रवाई करना;
		(चार) ऐसे अन्य कार्य करना जो वित्त अधिकारी द्वारा उसे सौंपे जाएं या जैसा वह आवश्यक समझे।
13	कनिष्ठ सहायक	(एक) अभिलेख प्रबंधन;
		(दो) फाइलों का रखरखाव और प्रबंधन;
		(तीन) आगे की कार्रवाई के लिए पत्रों और पीयूसी (विचाराधीन पत्रों) पर कार्रवाई करना;
		(चार) आपदा प्रबंधन से संबंधित मामलों का प्रबंधन और निपटान;
		(पॉच) ऐसे अन्य कार्य करना जो संबंधित अधिकारी द्वारा उसे सौंपे जाएं या जो वह आवश्यक समझे।

****

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 141/One-11-2025, dated February 25, 2025:

No. 141/One-11-2025

Dated Lucknow, February 25, 2025

IN exercise of the powers conferred by section 78 of the Disaster Management Act, 2005 (Act no. 53 of 2005) and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating the recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh State Disaster Management Authority Service.

THE UTTAR PRADESH STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY OFFICERS/EMPLOYEES SERVICE RULES, 2025

PART-I
GENERAL

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh State Disaster Management Authority Officers/Employees Service Rules, 2025.

(2) They shall come into force at once.

Status of Service

2. The Uttar Pradesh State Disaster Management Authority Service is a State Government service comprising of Group A, B and C posts.

Definitions

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(a) Act means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (U. P. Act no. 4 of 1994);

(b) "Authority " means the Uttar Pradesh State Disaster Management Authority;

(c) "Appointing Authority" in respect of Group A and B posts means the Governor and in respect of Group C posts means the Additional Chief Executive Officer of the Uttar Pradesh State Disaster Management Authority;

(d)" Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;

(e)" Commission" means the Uttar Pradesh Public Service Commission, Uttar Pradesh;

(f) "Constitution" means the Constitution of India;

(g) "Disaster Management Act" means the Disaster Management Act, 2005(Act no. 53 of 2005) ;

(h) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh;

(i) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh;

(j) "Member of the service" means a person substantively appointed under these rules or the rules or the orders in force prior to commencement of these rules to a post in the cadre of the service;

(k) "other backward classes of citizens" means the backward classes of citizens specified in Schedule - I of the Act, as amended from time to time;

(l) "service" means the Uttar Pradesh State Disaster Management Authority Service;

(m) "Subordinate Service Selection Commission" means the Uttar Pradesh Subordinate Service Selection Commission;

(n) "substantive appointment" means an appointment, not being an *ad-hoc* appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instruction issued by the Government;

(o) "U.P. Disaster Management Act" means the Uttar Pradesh Disaster Management Act, 2005 (U. P. Act no. 20 of 2005);

(p) 'Year of recruitment' means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year.

PART-II
CADRE

Cadre of Service

4. (1) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule(1), be as given in the Appendix A and B:

Provided that,-

(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or

(ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART-III
RECRUITMENT

Source of recruitment

5. Recruitment to various categories of posts in the service shall be made by direct recruitment through the relevant Commission (Uttar Pradesh Public Service Commission for Group A and B posts and Uttar Pradesh Subordinate Service Selection Commission for Group-C posts) as mentioned in Appendix-A and Appendix-B to these rules:

Provided that, prior to any recruitment being made under these rules, any such person who was appointed till 25.01.2022 to a post mentioned in Appendix-A and Appendix-B on the basis of selection through competition according to the procedure prescribed through Office Memorandum no. 134/1-11-2015-10 (P)/2008, dated May 28, 2016, and is working continuously on that post on the date of such commencement, shall be considered for absorption on said post by a committee constituted by the Government, and if found suitable he/she shall be absorbed on the said post.

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled tribes and other categories shall be in accordance with the Act and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993(U. P. Act no. 4 of 1994), as amended from time to time, and other Acts, rules , orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART-IV
QUALIFICATIONS

Nationality

7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be:

(a) a citizen of India; or

(b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India: or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (Formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

NOTE- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Educational Qualification and Experience

8. A candidate for direct recruitment to various posts in the service must possess the qualifications as mentioned in Appendix-C.

Preferential Qualifications

9. A candidate who has:

(i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or

(ii) obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps, shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

Age

10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 40 years on the first day of July of the calendar year in which the vacancies for direct recruitment are advertised:

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Character

11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy itself on the point.

NOTE- Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to a post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status

12. No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to service :

Provided that the Government may if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical Fitness

13. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental rule 10, contained in Chapter III of the Financial Hand-Book, Volume II, Part III.

PART-V
PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of vacancies

14. The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6. The vacancies to be filled through the relevant commissions shall be intimated to them.

Procedure for direct recruitment

15. (a) Direct recruitment to the posts of Group A and B mentioned in Appendix-A shall be made by the Uttar Pradesh Public Service Commission, the procedure whereof shall be as follows:-

(1) Applications for being considered for selection shall be called by the Commission in the form published in the advertisement issued by the Commission.

(2) The Commission will prepare the selection list in the order of proficiency on the basis of percentage of marks obtained in the essential educational qualification prescribed for the concerned post as per Appendix (C) referred to in Rule-8 (in such a situation when the essential educational qualification includes not one degree but more than one degree/diploma, then the average of the percentage of both will be considered for merit) and the total marks obtained in the interview. The marks for the interview will be determined/given as per the rules/policy of the Public Service Commission. While preparing such a list, if two or more candidates obtain equal marks, then they shall be given preference as per Appendix C. Even after the above, if two or more candidates are at the same level, then the Commission can arrange the names of the candidates as per its general policy. If any provision of the rules is silent in the context of direct recruitment to the posts under the purview of the Public Service Commission included in the rules, then action will be taken by the Public Service Commission after taking a decision in this regard. The Commission will prepare the select list of candidates in relation to the vacancies and forward it to the appointing authority along with its recommendations.

(b) Direct recruitment to the posts of Group - C as mentioned in Appendix-B shall be made by the Uttar Pradesh Subordinate Service Selection Commission, the procedure where of shall be as follows :-

Direct recruitment shall be made according to the provisions of the Uttar Pradesh Direct Recruitment to Group-C Posts (Mode and Procedure) Rules, 2015, as amended from time to time.

PART-VI

APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

16. The appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the list prepared under rule 15.

(2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection.

Probation

17. (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted:

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, his services may be dispensed with.

(4) The appointing authority may allow continuous service rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation

18. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation as per provisions of the Uttar Pradesh Government Servant Confirmation Rules, 1991, as amended from time to time, if-

(a) his work and conduct is reported to be satisfactory;

(b) his integrity is certified, and

(c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority

19. The seniority of persons substantively appointed to a post in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time.

PART-VII

PAY ETC.

Scale of pay

20. (1) The scale of pay admissible to persons appointed to the post in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scale of pay at the time of the commencement of these rules is given in Appendix- A and B.

Pay during probation

21. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time-scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training where prescribed, and the second increment after two years service when he/she has completed the probationary period and is also confirmed:

Provided that, if the period of probation is extended in account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointment directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who has already holding a post under the Government shall be regulated by the relevant fundamental rules:

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

PART-VIII

OTHER PROVISIONS

Canvassing

22. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulations of other matters

23. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, person appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation from the conditions of service

24. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Savings

25. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Special Categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By order,
P. GURU PRASAD,
Pramukh Sachiv.

Appendix A
[See Rule 4 (2) and 20 (2) and rule 5]

Sl. No.	Name of Post	No. of Posts	Source of Recruitment	Pay scale
1	Project Director Flood Management (Sectional Head)	01	Direct Recruitment by U.P. Public Service Commission	Pay Matrix Level-12)Rs.78 ,800-2,09,200)
2	Project Director Seismic and other Hazard. (Sectional Head)	01	Direct Recruitment by U.P. Public Service Commission	Pay Matrix Level-12)Rs.78 ,800-2,09,200)
3	Project Director Trauma and Mass Casualty. (Sectional Head)	01	Direct Recruitment by U.P. Public Service Commission	Pay Matrix Level-12)Rs.78 ,800-2,09,200)
4	Project Director Emergency Operation (Sectional Head)	01	Direct Recruitment by U.P. Public Service Commission	Pay Matrix Level-12)Rs.78 ,800-2,09,200)
5	Project Expert (Flood Control)	01	Direct Recruitment by U.P. Public Service Commission	Pay Matrix Level- 09)Rs.53 ,100-1,67,800)
6	Project Expert (Flood Warning and information System)	01	Direct Recruitment by U.P. Public Service Commission	Pay Matrix Level- 09)Rs.53 ,100-1,67,800)
7	Project Expert (Agriculture)	01	Direct Recruitment by U.P. Public Service Commission	Pay Matrix Level- 09)Rs.53 ,100-1,67,800)
8	Project Expert (Seismology)	01	Direct Recruitment by U.P. Public Service Commission	Pay Matrix Level- 09)Rs.53 ,100-1,67,800)
9	Project Expert (Civil Structure)	01	Direct Recruitment by U.P. Public Service Commission	Pay Matrix Level- 09)Rs.53 ,100-1,67,800)
10	Project Associate (Incident Command and Emergency Management)	01	Direct Recruitment by U.P. Public Service Commission	Pay Matrix Level- 09)Rs.53 ,100-1,67,800)
11	Project Coordinator (Training)	01	Direct Recruitment by U.P. Public Service Commission	Pay Matrix Level- 09)Rs.53 ,100-1,67,800)

———

Appendix B
[See Rule 4 (2) and 20 (2) and rule-5]

Sl. No.	Name of Post	No. of Posts	Source of Recruitment	Pay scale
1	Assistant Accountant	01	Direct Recruitment by U.P. Subordinate Service Selection Commission	Pay Matrix Level-05) Rs. 29,200-92,300)
2	Junior Assistant	01	Direct Recruitment by U.P. Subordinate Service Selection Commission	Pay Matrix Level-03) Rs.21 ,700-69,100)

Appendix C
(See rule-8)

Sr. No.	Name of Post	Educational Qualification and Experience
1	Project Director, Flood Management (Sectional Head)	BE or B.Tech. degree in Mechanical or Civil from any University established by law in India and 15 years of experience in the field of disaster management. In this experience, the candidate having experience of flood management work in any project/program of Central or State Government will be given first preference on the basis of duration and the candidate having experience of flood management work from a non-government institution will be given second preference.
2	Project Director, Seismic and other Hazard's (Sectional Head)	BE or B.Tech. degree in Earthquake Science or Structural Engineering or Civil from any university established by law in India and 15 years of experience in the field of disaster management. In this experience, the candidate having experience of earthquake management work in any project / program of the Central or State Government will be given first preference on the basis of duration and the candidate having experience of earthquake management work from a non-government institution will be given second preference.
3	Project Director, Trauma and Mass Casualty (Sectional Head)	MBBS degree from any University established by law in India and 15 years of experience in the field of disaster management. In this experience, the candidate having experience of health management or trauma and mass casualty work in any project/program of the central or state government will be given first preference on the basis of duration and the candidate having experience of health management or trauma and mass casualty work from a non-government institution will be given second preference.
4	Project Director Emergency Operation (Sectional Head)	Graduate degree from any University established by law in India with post graduate diploma or degree in disaster management and 15 years of experience in the field of disaster management. In this experience, the candidate having experience of disaster management and emergency operation in any project/program of central or state government will be given first preference on the basis of duration and the candidate having experience of disaster management and emergency operation from a non-governmental institution will be given second preference.
5	Project Expert (Flood Control)	BE or B.Tech. degree in Mechanical or Civil from any University established by law in India and 05 years experience in the field of disaster management. In this experience, the candidate having experience of flood management work in any project / program of the Central or State Government will be given first preference on the basis of duration and the candidate having experience of flood management work from a non-government institution will be given second preference.
6	Project Expert (Flood warning and information in system)	BE or B.Tech. degree in Mechanical or Civil from any University established by law in India and 05 years experience in the field of disaster management. In this experience, the candidate having experience of flood management and flood warning and information works in any project/program of Central or State Government will be given first preference on the basis of duration and the candidate having experience of flood management and flood warning and information works from a non-government institution will be given second preference.

7	Project Expert (Agriculture)	Bachelor's degree in Agriculture from any University established by law in India and 05 years experience in the field of Disaster Management. In this experience, candidates having experience of agricultural management in the context of drought management or other disasters in any project/program of Central or State Government will be given first preference on the basis of duration and candidates having experience of agricultural management in the context of drought management or other disasters from any non-governmental organization will be given second preference.
8	Project Expert (Seismology)	BE or B.Tech. degree in Earthquake Science or Geology or Structural Engineering or Civil from any university established by law in India and 05 years experience in the field of disaster management. In this experience, the candidate having experience of earthquake management work in any project / program of the Central or State Government will be given first preference on the basis of duration and the candidate having experience of earthquake management work from a non-government institution will be given second preference.
9	Project Expert (Civil Structure)	BE or B.Tech. degree in Structural Engineering or Civil from any University established by law in India and 05 years experience in the field of disaster management. In this experience, the candidate having experience of earthquake resistant building construction technology or earthquake mitigation and management work in any project / program of the Central or State Government will be given first preference on the basis of duration and the candidate having experience of earthquake resistant building construction technology or earthquake mitigation and management work from a non-government institution will be given second preference.
10	Project Associate (Incident Command and Emergency Management)	Graduate degree from any University established by law in India with degree or diploma in disaster management and 05 years experience in the field of disaster management. In this experience, the candidate having experience of disaster management and emergency operation work in any project / program of the central or state government will be given first preference on the basis of duration and the candidate having experience of disaster management and emergency operation work from a non-government institution will be given second preference.
11	Project Coordinator (Training)	Graduate degree from any University established by law in India with degree or diploma in disaster management and 05 years experience in the field of disaster management. In this experience, the candidate having experience of training and capacity building in the field of disaster management in any project / program of the Central or State Government will be given first preference on the basis of duration and the candidate having experience of training and capacity building in the field of disaster management from a non-governmental organization will be given second preference.
12	Assistant Accountant	Bachelor's degree in Commerce from a University established by law in India and "O" Level Diploma in Computer Operation from an Institute recognized by the Government and 3 years experience in the field of Accountancy.
13	Junior Assistant	Intermediate or equivalent qualification prescribed by the State Government and minimum speed of 25 words per minute and 30 words per minute in Hindi and English typing respectively and CCC certificate in computer operation awarded by D.O.E.A.C.C Society or any certificate equivalent to it awarded by any institution recognized by the Government.

S.No.	Post	Roles and Responsibilities
1	Project Director Flood	i. Preparation of State DM (flood) Plan; ii. Review the DM (flood) plans prepared by the departments of the Government of the State; iii. Development of guidelines regarding flood management to be followed by the departments of the Government of the State for the purposes of integration of measures for prevention of flood and flood mitigation in their development plans and projects and provide necessary technical assistance therefor; iv. coordinate the implementation of the State DM (Flood)Plan; v. Advise provision of funds for flood mitigation, flood preparedness & flood management; vi. review the measures being taken for flood mitigation, flood preparedness by the departments of the Government of the State and issue such guidelines as may be necessary; vii. examine the vulnerability of different parts of the State to flood disasters and specify measures to be taken for flood prevention or mitigation; viii. provide necessary technical assistance or give advice to District Authorities and local authorities for carrying out their flood management related functions effectively; ix. develop State level response plans and guidelines for flood management; x. monitor the implementation of disaster management (Flood) plans prepared by the departments of the Government of the State and District Authorities; xi. evaluate preparedness at all governmental or non-governmental levels to respond to any threatening flood situation and give directions, where necessary, for enhancing such preparedness; xii. advise, assist and coordinate the activities of the Departments of the Government of the State, District Authorities, statutory bodies and other governmental and non-governmental organisations engaged in flood management; xiii. provide necessary technical assistance or give advice to District Authorities and local authorities and coordinate for carrying out their functions effectively regarding flood management; xiv. Research, study, documentation, IEC development; xv. provide information to the National and other concern authorities relating to different aspects of flood management; xvi. lay down, review and update State level response plans and guidelines and ensure that the district level flood plans are prepared, reviewed and updated; xvii. perform such other functions as may be assigned to it by the State Authority or as it may consider necessary.
2	Project Director Seismic and other hazard	i. Preparation of State DM (earthquake safety) Plan; ii. Review the DM (earthquake safety) plans prepared by the departments of the Government of the State; iii. Development of guidelines regarding earthquake management to be followed by the departments of the Government of the State for the purposes of integration of earthquake mitigation in their development plans and projects and provide necessary technical assistance therefor; iv. coordinate the implementation of the State DM (earthquake safety) Plan; v. advise provision of funds for earthquake risk mitigation, earthquake preparedness & relief; vi. review the measures being taken for earthquake mitigation,

			earthquake safety preparedness by the departments of the Government of the State and issue such guidelines as may be necessary;
		vii.	examine the vulnerability of different parts of the State to earthquake disasters and specify measures to be taken for mitigation of lossess from earthquake;
		viii.	provide necessary technical assistance or give advice to District Authorities and local authorities for carrying out their earthquake safety related functions effectively;
		ix.	develop State level response plans and guidelines for earthquake disaster;
		x.	monitor the implementation of disaster management (earthquake safety) plans prepared by the departments of the Government of the State and District Authorities;
		xi.	evaluate preparedness at all governmental or non-governmental levels to respond to earthquake situation and give directions, where necessary, for enhancing such preparedness;
		xii.	advise, assist and coordinate the activities of the Departments of the Government of the State, District Authorities, statutory bodies and other governmental and non-governmental organisations i.e. civil/ architect association, builder association etc. engaged in earthquake safety and management;
		xiii.	Research, study, documentation, IEC development;
		xiv.	provide necessary technical assistance or give advice to District Authorities and local authorities for carrying out their functions effectively regarding earthquake safety;
		xv.	provide information to the National and other concern authorities relating to different aspects of earthquake safety;
		xvi.	lay down, review and update State level response plans and guidelines and ensure that the district level earthquake safety plans are prepared, reviewed and updated;
		xvii.	perform such other functions as may be assigned to it by the State Authority or as it may consider necessary.
3	Project Director Trauma and mass casualty	i.	Preparation of State DM (Trauma & Mass casualty and epidemic management) Plan;
		ii.	Review the DM (Trauma & Mass casualty and epidemic management) plans prepared by the departments of the Government of the State;
		iii.	Development of guidelines for hospitals regarding preparation of hospital safety plans;
		iv.	coordinate the implementation of the State DM (Trauma & Mass casualty and epidemic management) Plan;
		v.	recommend provision of funds for Trauma & Mass casualty, epidemic management and health safety preparedness measures;
		vi.	review the measures being taken for safe hospitals;
		vii.	examine the preparedness of hospitals;
		viii.	provide necessary technical assistance in regard to Trauma & Mass casualty and epidemic management;
		ix.	develop State level Trauma & Mass casualty and epidemic management response plans;
		x.	Research, study, documentation, IEC development.
		xi.	evaluate preparedness at all governmental or non-governmental levels for enhancing health safety and Trauma & Mass casualty preparedness and epidemic management;
		xii.	advise, assist and coordinate the activities of the Departments of the Government of the State, District Authorities, statutory bodies and other governmental and non-governmental organisations i.e. IMA, Nursing home association, Pvt. blood banks, etc. engaged in Trauma & Mass casualty management and epidemic management;

		xiii.	provide information to the National and other concern authorities relating to health and Trauma & Mass casualty and epidemic management;
		xiv.	perform such other functions as may be assigned to it by the State Authority or as it may consider necessary.
4	Project Director Emergency Operations	i.	coordination for preparation of State disaster management plan including Emergency management and Operation plan;
		ii.	Coordination and Management of Emergencies, Emergency Operation Center, Crisis management;
		iii.	Preparation and implementation of State DM/crisis management Plan.
		iv.	Liaison with CWC, Irrigation control room, IMD, Remote Sensing Center and other state or national level control rooms for gathering early warning;
		v.	Review the disaster management and response plans prepared by the departments of the Government of the State;
		vi.	lay down guidelines to be followed by the departments of the Government of the State for the purposes of disaster mitigation and emergency response;
		vii.	Coordination with all other Emergency Operation Centers i.e. concerned department's EOCs, National, district EOCs and other control rooms. Preparation of emergency reports;
		viii.	coordinate, review and monitor the integration & mainstreaming of Disaster Risk Reduction in departmental plans & policies so in order to prepare for emergency operations;
		ix.	provide information to the National and other concern authorities relating to disaster and emergency management;
		x.	recommend provisions of funds for emergency management, mitigation and preparedness measures so that emergency operation could be carried out properly in case of any disaster;
		xi.	examine the vulnerabilities of the state so that emergency management could be carried out.
		xii.	evaluate preparedness at all governmental or non-governmental functionaries and conduct preparedness measures to respond to any emergency;
		xiii.	coordinate response in the event of any threatening disaster situation or disaster;
		xiv.	Capacity Building of all stakeholders for disaster management and emergency management. Training management. promote, general education, awareness and community training for emergency management. All Project and programme management;
		xv.	advise, review, assist and coordinate the activities of the Departments of the Government of the State, District Authorities, statutory bodies and other governmental and non-governmental organisations engaged in disaster management and emergency operation;
		xvi.	Research, study, documentation, IEC development;
		xvii.	ensure that communication systems are in order and the disaster management drills are carried out periodically;
		xviii.	coordinate and give direction for rescue, evacuation or providing immediate relief saving lives or property, as may be necessary in its opinion;
		xix.	ensure that governmental and non-governmental organisations carry out their emergency & relief activities in an equitable and non-discriminatory manner;
		xx.	Incharge of all types of Project preparation, review and implementation of the projects related to Disaster Mitigation, capacity building, EOC, Awareness and training related projects of UPSDMA funded by Central or State Government or SDRF or any other fund of the department;

		xxi.	disseminate information to concerned authorities for public dissemination to deal with any threatening disaster situation or disaster;
		xxii.	perform such other functions as may be assigned to it by the State Authority or as it may consider necessary.
5	Project Expert Flood Control	i.	Preparation of State DM (flood) Plan;
		ii.	Liaison with CWC, Irrigation control room, IMD, Remote Sensing Center and other state or national level control rooms for gathering early warning;
		iii.	dissemination of flood early warning;
		iv.	Review the DM (flood) plans prepared by the departments of the Government of the State;
		v.	Development of guidelines regarding flood management to be followed by the departments of the Government of the State for the purposes of integration of measures for prevention of flood and flood mitigation in their development plans and projects and provide necessary technical assistance therefor;
		vi.	review the measures being taken for flood mitigation, flood preparedness by the departments of the Government of the State and issue such guidelines as may be necessary;
		vii.	develop State level response plans and guidelines for flood management;
		viii.	monitor the implementation of disaster management (Flood) plans prepared by the departments of the Government of the State and District Authorities;
		ix.	evaluate preparedness at all governmental or non-governmental levels to respond to any threatening flood situation and give directions, where necessary, for enhancing such preparedness;
		x.	Research, study, documentation, IEC development;
		xi.	perform such other functions as may be assigned to him/her by the Project director flood.
6	Project Expert Flood Warning and Information System	i.	coordinate the implementation of the State DM (Flood)Plan;
		ii.	recommend provision of funds for flood mitigation and flood preparedness measures;
		iii.	examine the vulnerability of different parts of the State to flood disasters and specify measures to be taken for flood prevention or mitigation;
		iv.	provide necessary technical assistance or give advice to District Authorities and local authorities for carrying out their flood management related functions effectively;
		v.	advise, assist and coordinate the activities of the Departments of the Government of the State, District Authorities, statutory bodies and other governmental and non-governmental organisations engaged in flood management;
		vi.	provide necessary technical assistance or give advice to District Authorities and local authorities for carrying out their functions effectively regarding flood management ;
		vii.	provide information to the National and other concern authorities relating to different aspects of flood management;
		viii.	lay down, review and update State level response plans and guidelines and ensure that the district level flood plans are prepared, reviewed and updated;
		ix.	Research, study, documentation, IEC development.

		x.	perform such other functions as may be assigned to him/her by the Project director flood;
7	Project Expert Agriculture	i.	Review the DM plans prepared by the departments of the Government of the State from agriculture resilience point of view;
		ii.	Development of guidelines regarding crop management to be followed by the concerned departments of the Government of the State for the purposes of integration of measures for mitigation of losses to agriculture from drought/ flood/ coldwave/ hailstorm/ other disasters in their development plans and projects and provide necessary technical assistance therefor;
		iii.	Support & coordinate in damage assessment to crops/agriculture from disasters.
		iv.	review the measures being taken for drought mitigation, drought preparedness by the departments of the Government of the State and issue such guidelines as may be necessary;
		v.	examine the vulnerability of different parts of the State to drought disasters and specify measures to be taken for drought mitigation;
		vi.	provide necessary technical assistance or give advice to District Authorities and local authorities for carrying out their damage assessment, drought mitigation and agriculture loss mitigation related functions effectively;
		vii.	review the implementation of disaster management plans prepared by the departments of the Government of the State and District Authorities from agriculture point of view;
		viii.	provide necessary technical assistance or give advice to District Authorities and local authorities for carrying out their functions effectively regarding agriculture loss mitigation;
		ix.	provide information to the concern authorities relating to agriculture loss;
		x.	Prepare, review and update State level response plans and guidelines and ensure that the district level drought mitigation and management plans are prepared, reviewed and updated;
		xi.	Research, study, documentation, IEC development,
		xii.	perform such other functions as may be assigned to him/her by the Project director drought.
8	Project Expert Seismology	i.	Preparation of State DM (earthquake safety) Plan;
		ii.	Development of guidelines regarding earthquake management to be followed by the departments of the Government of the State for the purposes of integration of earthquake mitigation in their development plans and projects and provide necessary technical assistance therefor;
		iii.	review the measures being taken for earthquake mitigation, earthquake safety preparedness by the departments of the Government of the State and issue such guidelines as may be necessary;
		iv.	develop State level response plans and guidelines for earthquake disaster;
		v.	evaluate preparedness at all governmental or non-governmental levels to respond to earthquake situation and give directions, where necessary, for enhancing such preparedness;
		vi.	advise, assist and coordinate the activities of the Departments of the Government of the State, District Authorities, statutory bodies and other governmental and non-governmental organisations engaged in earthquake safety and management;

		vii.	provide information to the concerned authorities relating to earthquake;
		viii.	Research, study, documentation, IEC development;
		ix.	perform such other functions as may be assigned to him/her by the Project director Seismic hazard.
9	Project Expert Civil Structure	i.	Review the DM (earthquake safety) plans prepared by the departments of the Government of the State;
		ii.	coordinate the implementation of the State DM (earthquake safety) Plan;
		iii.	examine the vulnerability of different parts of the State to earthquake disasters and specify measures to be taken for mitigation of losses from earthquake;
		iv.	provide necessary technical assistance or give advice to District Authorities and local authorities for carrying out their earthquake safety related functions effectively;
		v.	monitor the implementation of disaster management (earthquake safety) plans prepared by the departments of the Government of the State and District Authorities;
		vi.	Prepare, review and update State level response plans and guidelines and ensure that the district level earthquake safety plans are prepared, reviewed and updated;
		vii.	Research, study, documentation, IEC development,
		viii.	perform such other functions as may be assigned to him/her by the Project director Seismic hazard.
10	Project Associate incident command and Emergency Management	i.	Coordination with all other Emergency Operation Centers i.e. concerned department's EOCs, National, district EOCs and other control rooms. Preparation of emergency reports;
		ii.	Preparation of State disaster management plan including Emergency management and Operation plan;
		iii.	Coordination and Management of Emergencies, Emergency Operation Center, Crisis management;
		iv.	Preparation and implementation of State DM/crisis management Plan;
		v.	Review the disaster management and response plans prepared by the departments of the Government of the State;
		vi.	Prepare guidelines to be followed by the departments of the Government of the State for the purposes of disaster mitigation, response;
		vii.	coordinate response in the event of any threatening disaster situation or disaster;
		viii.	ensure that communication systems are in order and the disaster management drills are carried out periodically;
		ix.	coordinate and give direction for rescue, evacuation or providing immediate relief saving lives or property, as may be necessary in its opinion;
		x.	ensure that governmental and non-governmental organisations carry out their emergency & relief activities in an equitable and non-discriminatory manner;
		xi.	disseminate information to concerned authorities for public dissemination to deal with any threatening disaster situation or disaster;

		xii.	Research, study, documentation, IEC development;
		xiii.	perform such other functions as may be assigned to him/her by Project Director Emergency operation;
11	Project Coordinator Training	i.	Building capacity of stakeholders for coordination, review and monitoring of the integration & mainstreaming of Disaster Risk Reduction in departmental plans & policies in order to prepare them for emergency operations;
		ii.	Research, study, documentation, IEC development;
		iii.	coordinate with concern authorities relating to capacity building;
		iv.	Capacity Building of all stakeholders for disaster management and emergency management. Training management, promote, general education, awareness and community training for emergency management. All Project and programme management;
		v.	advise, review, assist and coordinate the activities of the Departments of the Government of the State, District Authorities, statutory bodies and other governmental and non-governmental organisations engaged in disaster management and emergency operation;
		vi.	ensure that governmental and non-governmental organisations carry out their emergency & relief activities in an equitable and non-discriminatory manner;
		vii.	perform such other functions as may be assigned to him/her by Project Director Emergency operation.
12	Assistant Accountant	i.	Financial record and Books management;
		ii.	Files up-keep and management regarding financial matters;
		iii.	Processing the letters and PUCs regarding financial matters;
		iv.	perform such other functions as may be assigned to him/her by Finance Officer or as it may consider necessary.
13	Junior Assistant	i.	Record management;
		ii.	Files up-keep and management;
		iii.	Processing the letters and PUCs for further actions;
		iv.	management and disposal of matters regarding disaster management;
		v.	perform such other functions as may be assigned to him/her by officer concerned or as it may consider necessary.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 527 राजपत्र–2025–(1418)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 5 सा0 राजस्व–2025–(1419)–600 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।